भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4163

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"स्वदेशी उत्पादों का निर्यात"

4163. श्री हरीश द्विवेदी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वदेशी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी विद्युत उपकरणों के निर्यात में हुई वृद्धि को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

			करोड़ रुपये में
2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
41,677	52,910	60,698	63,839

(स्रोत: आईईईएमए, डीजीसीआईएस)

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भारी विद्युत उद्योग से संबंधित उत्पादों अर्थात् टर्बाइन, जेनरेटर और रोटेटिंग मशीन, ट्रांसफर्मर, स्विच गियर और कंट्रोल गियर आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, भारत से पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित स्वदेशी उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा है:

मूल्य मिलियन $ में	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल-जनवरी,2021	अप्रैल-जनवरी,2022
भारत से स्वदेशी उत्पादों का निर्यात	14323.24	13352.03	11337.87	9020.43	12013.02

उपरोक्त तालिका के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित स्वदेशी उत्पादों के भारतीय निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि, इसमें चालू वर्ष यानी अप्रैल-जनवरी 2022 में पिछले वित्त वर्ष यानी अप्रैल-जनवरी 2021 की तुलना में 33% से अधिक की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है, उनमें परमाणु रिएक्टर, औद्योगिक बॉयलर और पुर्जे, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, आईसी इंजन और पुर्जे, सभी प्रकार के पंप, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन मशीनरी और पुर्जे, औद्योगिक भट्ठियां, वॉटर हीटर और सेंट्रीफ्यूज तथा कंप्रेसर, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, कागज, रसायन आदि।

(स्रोत: ईईपीसी इंडिया)

(ख) : स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत को विश्वस्तरीय विनिर्माण गंतव्य बनाने के लिए इस मंत्रालय ने निम्नलिखित दो स्कीमें शुरू की हैं ताकि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिले और भारत एक विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्र बन सके:-

i) **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम** : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक के लिए पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अधिकता पर काबू पाना, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल हैं। अनुमान है कि ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम से पांच वर्षों की अवधि में ₹42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश आकर्षित होगा, ₹2.3 लाख करोड़ से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन होगा और 7.5 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

यह स्कीम ऑटोमोबिल उद्योग के लिए उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और वैश्विक मोटर वाहन व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायक होगी। प्रोत्साहन घरेलू और निर्यात बिक्री-- दोनों पर लागू होते हैं।

ii) **'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम' सबंधी पीएलआई स्कीम**: एसीसी के लिए पीएलआई स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है और इस स्कीम को भारत में गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए 9 जून, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से, भारत सरकार का इरादा घरेलू और विदेशी-- दोनों के संभावित निवेशकों के अधिकतम मूल्यवर्धन और गुणवत्तापरक उत्पादन पर जोर देने के साथ गीगा-स्केल एसीसी निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्व-निर्धारित क्षमता स्तर को प्राप्त करने का है।

भारी उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और घरेलू तथा निर्यात उद्देश्य के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में विनिर्माण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन" स्कीम भी 2014 से लागू कर रहा है।

उपर्युक्त प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी,2022 को भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम, चरण- II को अधिसूचित किया है।

***